न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 38/2019

1 बाबूलाल पुत्र सांवलराम।
2 महावीर पुत्र बदरी।
2/1 भगवानी पत्नी महावीर समस्त जाति अहीर निवासीगण सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 महेन्द्र पुत्र रामेश्वर।
2 विक्रम पुत्र सांवलराम।
3 रामगिरी पुत्री छोटी देवी।
4संतोष पुत्री छोटी देवी।
5 कमला पुत्री छोटी देवी।
6 ममता पुत्री छोटी देवी।
7 संज्या पत्नी रामेश्वर।
8 श्यामलाल पुत्र रामेश्वर।
9 बंशी पुत्र रामेश्वर।
10 श्योकोरी पत्नी बनवारीलाल।
11 रोहिताश पुत्र बनवारीलाल।
12 लालचन्द पुत्र बनवारीलाल।
13 बिरेन्द्र कुमार पुत्र बनवारीलाल।
14 भागाराम पुत्र दयालाराम।
15 रामजीलाल पुत्र मालाराम।
16 तेजाराम पुत्र मालाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 जगदीश पुत्र मालाराम।
18 हजारी पुत्र मालाराम।
19 प्रभाती पुत्री गणेश।
20 मूली पुत्री गणेश।
21 सोनगी पुत्री गणेश।
22 मूलाराम पुत्र मालाराम।
23 मदन पुत्र मालाराम।
24 कैलाश पुत्र माला।
25 चन्द्रा पुत्र माला।
26 भागाराम पुत्र दयालाराम समस्त जाति अहीर निवासीगण सराय तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
27 भूमिधारक तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2019 मु.नं. 150/18 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी पीठासीन अधिकारी श्री हवाई सिंह यादव आर.ए.एस. दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा उनवान महेन्द्र बनाम बाबूलाल वगैरह

उपस्थिति :

1. श्री महेशचन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कृष्ण कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 30-6-21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा संख्या 150/2018 में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने दिनांक 13.06.2018 को वाद पत्र प्रस्तुत किया। वाद पत्र के अनुसार उसने उल्लेख किया कि खाता संख्या 88 की भूमि खसरा नम्बर 335 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.5700 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 64 की भूमि खसरा नम्बर 340,341,342,343,344,345,346, 347,348,349 कुल किता 10 कुल रकबा 2.3700 हैक्टेयर की भूमि तथा भूमि खसरा नम्बर 205,206,207,208 कुल किता 4 कुल रकबा 8.300 हैक्टेयर का पक्षकारान में विभाजन करने का दावा प्रस्तुत किया। दिनांक 31.07.2008 को मुकदमे में आदेश 6 नियम 17 सीपीसी की दरख्वास्त प्रस्तुत हुई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई। लेकिन कोई संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत नही हुआ। दिनांक 06.02.2019 को प्रतिवादी नम्बर 1 बाबूलाल अपीलांट की तरफ से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ व दिनांक 06.02.2019 को प्रार्थी अपीलांट महावीर के लिये अंतिम अवसर दिया गया। जबकि जवाब दावा के लिये कम से कम तीन मौके दिये जाने चाहिए थे व दिनांक 15.03.2019 को प्रार्थी अपीलांट महावीर का ना तो जवाब दावा बंद किया गया व ना जवाब देने का अवसर दिया गया बल्कि ऑर्डर शीट में यह उल्लेख किया गया कि प्रतिवादी नम्बर 1 के जवाब को ही उसका जवाब समझा जावें। दिनांक 26.03.2019 को दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया गया। दावे के अन्दर ना तो जवाब बंद किया गया, ना अन्य पक्षकारान की तामील कराई गई ना मुकदमे में तनकी बनाई गई ना मुकदमें में साक्ष्य ली गई ना किसी दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया गया ना किसी दस्तावेज का हवाला दिया गया ना किसी दस्तावेज पर प्रदर्शित अंकित किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गया तथा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व सुनवाई का मौका नही दिया। अपीलांट महावीर को सुनवाई का मौका नही दिया व बाबूलाल के जवाब के आधार पर तनकी नही कायम की ना साक्ष्य रिकार्ड की गई। अपीलांट बाबूलाल ने जवाब दावा दिनांक 06.02.2019 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि खसरा नम्बर 340 में वर्तमान में पुराने मकान बने हुए है। उस खसरा नम्बर को प्रार्थी अपीलांट के हिस्से में रखते हुए व शेष भूमि को कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए बंटवारा किया जावे लेकिन विचारण न्यायालय ने इस सम्बंध में ना तो तनकी बनाई ना साक्ष्य ली। प्रार्थी अपीलांट महावीर को प्रतिवादी नम्बर 15 बनाया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि प्रतिवादी संख्या 15 के पिता का 1/6 हिस्सा दर्ज है इस प्रकार महावीर बदरी का लड़का है जिसका 1/6 हिस्सा है, जो 1/6 हिस्से पर काबिज है, जिसके 1/6 हिस्से के बारे में विचारण न्यायालय ने कोई निर्णय पारित नही किया है ना ही 1/6 हिस्से का बंटवारा किया है ना ही 1/6 हिस्से का मालिक महावीर को घोषित किया है इसलिये महावीर के विरूद्व विचारण न्यायालय ने गलत रूप से डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय ने पूरी जमीन व समस्त खातो के सम्बंध में विभाजन नही किया है ना समस्त पक्षकारो के मध्य विभाजन किया है। किस पक्षकार का कितना हिस्सा है यह स्पष्ट नही है। बंटवारे के दावे में समस्त पक्षकारो में बंटवारा होता है तथा इसका विवरण प्रारम्भिक डिक्री में आवश्यक होता है लेकिन विचारण न्यायालय ने केवल वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 6 के मध्य विभाजन होने का उल्लेख किया है जो गलत है। विभाजन सम्पूर्ण खातो का व सम्पूर्ण खातेदारो के मध्य होना आवश्यक है। विचारण न्यायालय ने कानूनी आवश्यक प्रावधानो की व राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो की पालना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नही की है ना प्रोसिजर अडोप्ट किया गया है ना मुकदमे में साक्ष्य रिकार्ड की है इसलिये विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री गलत व त्रुटीपूर्ण व इलिगत व कानून के सिद्वान्तों के विपरित है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका में अंकित है कि प्रतिवादी संख्या 15 के वकील ने प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब को ही स्वंय का जवाब मानने का कथन किया है। विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिक्री सहमती से जारी हुई है। सहमती से डिक्री की अपील पोषणीय नही है। विचारण न्यायालय में आदेशिका गलत लिखी गई है ऐसा अपीलांट का आक्षेप नही है। दिनांक 15.04.2019 को विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्राथमिक डिक्री के सम्बंध में कोई अंकन नही है। विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 88 की भूमि खसरा नम्बर 335 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 336 रकबा 0.2700 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.5700 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 64 की भूमि खसरा नम्बर 340,341,342,343,344,345,346, 347,348,349 कुल किता 10 कुल रकबा 2.3700 हैक्टेयर की भूमि तथा भूमि खसरा नम्बर 205,206,207,208 कुल किता 4 कुल रकबा 8.300 हैक्टेयर का पक्षकारान में विभाजन करने का दावा प्रस्तुत किया। दिनांक 31.07.2008 को मुकदमे में आदेश 6 नियम 17 सीपीसी की दरख्वास्त प्रस्तुत हुई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई। लेकिन कोई संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत नही हुआ। दिनांक 06.02.2019 को प्रतिवादी नम्बर 1 बाबूलाल अपीलांट की तरफ से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ व दिनांक 06.02.2019 को प्रार्थी अपीलांट महावीर के लिये अंतिम अवसर दिया गया। जबकि जवाब दावा के लिये कम से कम तीन मौके दिये जाने चाहिए थे व दिनांक 15.03.2019 को प्रार्थी अपीलांट महावीर का ना तो

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जवाब दावा बंद किया गया व ना जवाब देने का अवसर दिया गया बल्कि ऑर्डर शीट में यह उल्लेख किया गया कि प्रतिवादी नम्बर 1 के जवाब को ही उसका जवाब समझा जावें। दिनांक 26.03.2019 को दावा प्राथमिक डिक्री कर दिया गया। दावे के अन्दर ना तो जवाब बंद किया गया, ना अन्य पक्षकारान की तामील कराई गई ना मुकदमे में तनकी बनाई गई ना मुकदमें में साक्ष्य ली गई ना किसी दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया गया ना किसी दस्तावेज का हवाला दिया गया ना किसी दस्तावेज पर प्रदर्शित अंकित किया गया तथा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.08.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30-6-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
पदेभू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर